

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था /2018

रायपुर, दिनांक

कार्यालय-सूचना

आदेशानुसार, सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिये संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया जाना है ।

अतः विधान सभा सचिवालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संपत्ति विवरणी प्रपत्र स्थापना शाखा से प्राप्त कर तथा आवश्यक पूर्ति उपरांत 23 जनवरी, 2018 तक स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।

आदेश से,

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 05/1/2018

पृ. क्रमांक 68 /वि.स./स्था./2018

प्रतिलिपि

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान.अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के निज सचिव को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. सर्व संबन्धित अधिकारी /कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के सूचनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा